

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 5150/III(2)/10-18(प्रा०आ०)/2010 दिनांक 16-08-2010 के द्वारा प्राप्त हुयी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी वैध है।


(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath